

पत्रांक: 256 / पत्रा०सं०- 412 / डी.एस.एम.यू. / 2014-15 लखनऊ दिनांक 28 मई, 2014

कार्यालय ज्ञाप

उ०प्र०वि०उ० डॉ० शकुन्तला मिश्रा विश्वविद्यालय (लखनऊ) अधिनियम-2009 की धारा 5 (दो) के अन्तर्गत विश्वविद्यालय अनुदान आयोग एवं उत्तर प्रदेश सरकार के मानकों के अनुसार राज्य के महाविद्यालयों और अन्य संस्थाओं को विश्वविद्यालय से सम्बद्धता प्रदान किए जाने हेतु नियमन एवं विस्तृत रूपरेखा तैयार किए जाने के सम्बन्ध में निम्नानुसार समिति गठित की जाती है:-

- | | |
|---|--------------|
| 1. प्र० ए० पी० तिवारी, अधिष्ठाता (शैक्षणिक) | अध्यक्ष |
| 2. डॉ० वीरेन्द्र सिंह यादव, रीडर, हिन्दी | वरिष्ठ सदस्य |
| 3. डॉ० शशि सौरभ, प्रवक्ता, राजनीतिशास्त्र | सदस्य |
| 4. श्री बृजेन्द्र सिंह, सहायक कुलसचिव | सदस्य सचिव |

इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि उपरोक्तानुसार समिति दिनांक 30 मई, 2014 तक ड्राफ्ट तैयार कर अधोहस्ताक्षरी के समक्ष प्रस्तुत करने का कष्ट करें।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या व दिनांक उपरोक्तानुसार।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. स्टाफ ऑफिसर, कुलपति, को कुलपति महोदय के अवलोकनार्थ।
2. समिति के समस्त सदस्यगण।
3. वित्त अधिकारी, विश्वविद्यालय।
4. सुश्री पूजा अग्रवाल, सिस्टम एनालिस्ट को विश्वविद्यालय की वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु।

(अखिलेन्द्र कुमार)
कुलसचिव